

संख्या 11014/1/88-स्था० {छुट्टी}

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
{कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग}

नई दिल्ली, दिनांक 7-5-91

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी कर्मचारियों के लिए अर्जित छुट्टी जमा करने की प्रक्रिया ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 26 दिसम्बर, 1989 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 {ii} के मामलों में छुट्टी खाते के कालम 4 में 15 दिन की छुट्टी अग्रिम रूप से जमा कर दी जाएगी । कालम 7 में परिणामी योग इस रूप में दर्शाया जायेगा:- 240 + उन दिनों की संख्या जो कि 240 दिनों की अधिकतम निर्धारित संख्या से ऊपर बैठती हों । 240 दिन की सीमा से अधिक दिनों की इस संख्या को कौष्ठक में दर्शाया जाएगा । चालू छमाही के दौरान ली गई छुट्टी पहले कालम 7 के कौष्ठक में दिखाई गई संख्या में समायोजित की जाएगी । इसी प्रकार कालम 11 में भी समायोजन के पश्चात् बकाया छुट्टियों को 240 + उन दिनों की संख्या, जो 240 दिनों की अधिकतम संख्या से ऊपर बैठती है, यदि ऐसा हो तो, के रूप में दर्शाया जायेगा । अगली छमाही के लिए छुट्टियाँ जमा करते समय कालम 7 में जमा कुल अर्जित छुट्टियाँ निकालते समय कालम 4 में जमा छुट्टियाँ कालम 11 में केवल उसी संख्या के साथ जोड़ी जाएंगी जो कि कौष्ठक के बाहर है ।

छुट्टी खाते के फार्म का एक नमूना संलग्न है ।

पि वि वत्सला जी कुट्टी

{श्रीमती पी०वी० वत्सला जी० कुट्टी}

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

सरकारी सेवक का नाम जन्मतिथि
 निरन्तर सेवा के प्रारंभ होने की तारीख
 स्थायीत्व होने/स्थायी नियोजन की तारीख

अर्जित छुट्टी

केन्द्रीय वर्ष के
 अर्जित में सेवा
 की दिवसिद्वारा

से	तक	केन्द्रीय वर्ष के अर्जित	अर्जित के प्रारंभ पर जात	सेवा के संपूर्ण मास	खाते की गई अर्जित छुट्टी	पूर्ववर्ती अर्जित केन्द्रीय वर्ष के दौरान उपभोग की गई असाधारण छुट्टी/सर्व 365 के दिनों की संख्या	अर्जित छुट्टी जो काटी जानी है/सर्व 5 में प्रतिवर्ष अवधि का 1/10वा भाग
1	2	3	4	5	6		
30.6.89	तक						
1.7.89	31.12.89	6	15				
1.1.90	30.6.90	6	15				
1.7.90	31.12.90	6	15				
1.1.91	30.6.91	6	15				

नी गई छुट्टी

कुल जमा छाने अर्जित से तक छुट्टी दिनों में रतन 44 11-68

दिनों की संख्या

छुट्टी से लौटने के समय अतिशेष अर्जित छुट्टी रतन 7-108

7	8	9	10	11
235				220
240	-	-	9	226
84 18				84 18
240	5.7.90	15.7.90	13	240
84-158				84 28
240				84 240 दिन से अधिक अर्जित छुट्टियों के दिनों की संख्या
4 8 158				

अवेतन छुट्टी

केन्द्रीय वर्ष की छमाही के आरंभ	पूर्ववर्ती छमाही में जमा की जाने वाली छमाही में सेवा में जमा की गई	अकार्य दिवस माने गये दिनों की संख्या	14 की अवधि का 1/18 भाग	जमा हुई अवेतन से तक दिनों की संख्या
के	अवेतन छुट्टी			कालम 35+13-158
12	13	14	15	16
				17 18 19

31 जुलाई 1976 की भारत सरकार विदित मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 16868-ई. 11/84/74 तथा 24.12.76 के कार्यालय नॉपन संख्या 16818-ई. 11/84/76 के साथ पठित 8.11.76 की अधिसूचना तथा भारत सरकार कार्मिक और प्रशासनिक सुधार की दिनांक 25.11.80 की अधिसूचना संख्या पी-14018/1/80-छुट्टी एकक द्वारा प्रतिस्थापित ।